भायंदर सन

BHAYANDER SUN

PRGI No. : MHHIN/26/A2219 website : bhayandersun.co.in Email : bhayandersun@gmail.com

वर्ष : 1 * अंक : 8 * दि. 16 से 30 सितंबर 2026 * संपादक : संजय डी. राय * ठाणे * पृष्ठ : 4 * मूल्य : 5 रुपये

दिसंबर 2028 तक परियोजना पूरी करने का लक्ष्य
दहिसर-भाईंदर लिंक रोड का काम हुआ फास्ट

मुंबई : मुंबई और मीरा-भाईंदर के बीच सीधा और तेज सड़क संपर्क उपलब्ध कराने वाली दहिसर-भाईंदर लिंक रोड परियोजना के काम ने गति पकड़ ली है. इस परियोजना में 60 फाइल और 4 पियर का काम पूरा किया जा चुका है. करीब 5.13 किलोमीटर लंबे इस महत्वपूर्ण मार्ग के काम की रफ्तार को देखते हुए इसके दिसंबर 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. अतिरिक्त मनपा आयुक्त परियोजना अभिजीत बांगर ने भायंदर इंटरचेंज स्थित परियोजना स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को काम की गति, गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर आवश्यक निर्देश दिए. मुंबई महानगर में यातायात की समस्या कम करने के लिए बीएमसी ने मुंबई कोस्टल रोड उत्तर परियोजना शुरू की है. करीब 60 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में वर्सोवा से भायंदर तक शहरों को जोड़ने की योजना है. परियोजना को कुल सात पैकेज में बांटा गया है. दहिसर-भायंदर लिंक रोड इसका सातवां पैकेज है. दहिसर पश्चिम से भायंदर पश्चिम तक सीधा संपर्क देने वाले इस मार्ग में एलिवेटेड रोड, मैंग्रोव

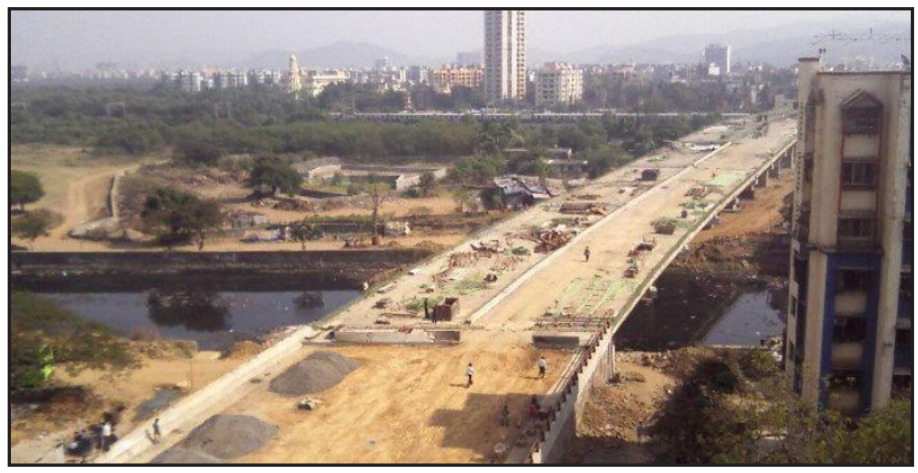

क्षेत्र में स्टिल्ट पर सड़क, खाड़ी के ऊपर एलिवेटेड संरचना, नमक के मैदान वाले क्षेत्र में एलिवेटेड मार्ग, कनेक्टर रोड, इंटरचेंज और फ्लाईओवर शामिल हैं.

अक्टूबर में लॉन्चिंग गर्डर का शुरू होगा काम

परियोजना के करीब 3.83 किलोमीटर लंबे और 45 मीटर चौड़े मुख्य एलिवेटेड रोड को मुंबई कोस्टल रोड उत्तर का अंतिम हिस्सा बनाया जा रहा है. वर्तमान में गैबियन दीवार का काम जारी है. पुल की नींव के लिए पाइल और पाइल कैप का निर्माण किया जा रहा है. अब तक 60 पाइल, 5 पाइल कैप, 4 पियर, पियर कैप और 9 सेगमेंट का काम पूरा हो चुका है. अत्याधुनिक मशीनरी और टेंपरेरी एक्सेस ब्रिज भी कार्यरत हैं. अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से लॉन्चिंग गर्डर का काम शुरू होगा.

अभिजीत बांगर ने दिए निर्देश

अतिरिक्त आयुक्त बांगर ने भूमि अधिग्रहण में तेजी, प्राथमिकता तय करने, मीरा-भायंदर मनपा सहित संबंधित प्राधिकरणों का सहयोग लेने और एसओपी के अनुसार सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने बैरिकेडिंग के साथ गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध काम पूरा करने पर जोर दिया.

मुंबई कोस्टल रोड के काम को रफ्तार

मुंबई कोस्टल रोड उत्तर परियोजना के तहत वेसावे से भायंदर के बीच चल रहे निर्माण कार्य को गति दिया जा रहा है. इसके तहत भायंदर में अत्याधुनिक कास्टिंग यार्ड तैयार किया गया है. बीएमसी के अतिरिक्त बांगर ने यार्ड का निरीक्षण कर प्रीकास्ट घटकों के निर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण और उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया. बांगर ने प्रत्येक चरण में गुणवत्ता जांच, आधुनिक तकनीक और श्रमिक सुरक्षा नियमों के पालन के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि पुल निर्माण और सेगमेंट तैयार करने की गति में तालमेल जरूरी है, ताकि सेगमेंट की कमी से पुल का काम प्रभावित न हो.

बड़े अधिकारियों को बचाने का आरोप
हाई कोर्ट का आदेश रोकने पर क्लर्क-इंजीनियर निलंबित

भायंदर : मीरा-भायंदर महानगरपालिका में हाई कोर्ट के एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश की जानकारी समय पर संबंधित अधिकारियों तक नहीं पहुंचने के मामले ने प्रशासनिक हलकों में खलबली मचा दी है। मनपा आयुक्त राधाबिनोद शर्मा के निर्देश पर नगर रचना विभाग के शाखा अभियंता सचिन पाटिल और विधि विभाग के क्लर्क स्वप्निल गायकवाड़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, लेकिन कार्रवाई के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है। जिस मामले में कथित तौर पर बड़े स्तर पर लापरवाही हुई, उसमें कार्रवाई सिर्फ निचले स्तर के कर्मचारियों पर ही क्यों ?

मामले से जुड़े सूत्रों के अनुसार, बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश की जानकारी मनपा के पैनल एड. मयूरेश लागू की ओर से समय पर विधि विभाग को नहीं दी गई। इसके बाद विकासक की कानूनी टीम द्वारा जमा कराई गई सूचना नगर रचना विभाग में कार्यरत सहायक विधि अधिकारी तक पहुंची। आरोप है कि इस सूचना के बावजूद मामले की जानकारी नगर रचना विभाग के सहायक संचालक और मुख्य विधि अधिकारी तक नहीं पहुंचाई गई। मनपा प्रशासन ने विधि विभाग के क्लर्क स्वप्निल गायकवाड़ को आवक-जावक पत्रों की जिम्मेदारी का हवाला देते हुए निलंबित किया है।

लेकिन विभागीय कर्मचारियों का कहना है कि क्लर्क की भूमिका पत्र दर्ज करने और संबंधित प्रक्रिया तक सीमित थी। उनका कहना है कि यदि हाई कोर्ट के आदेश से संबंधित सूचना अधिकारियों तक नहीं पहुंची, तो पैनल एडवोकेट और संबंधित विधि अधिकारी की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए थी। केवल क्लर्क को जिम्मेदार ठहराना क्या न्यायसंगत है? यह पूरा मामला हाईकोर्ट के 27 अप्रैल के एक आदेश की है जिसमें एक डेवलपर के खिलाफ प्रतिकूल कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया गया था। लेकिन उक्त आदेश की जानकारी मीरा भायंदर मनपा के संबंधित विभागों को नहीं मिलने से मनपा आयुक्त ने स्टॉप वर्क नोटिस जारी किया था। जिससे उन्हे हाईकोर्ट से माफी मांगनी पड़ी थी।

मीरा-भाईंदर से वसई-विरार की राह होगी आसान, खर्च होंगे 17,725 करोड़
'मेट्रो 13' प्रोजेक्ट को मंजूरी

मुंबई : मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में बढ़ते ट्रैफिक जाम को हल करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. परियोजना पूरी होने के बाद मीरा-भाईंदर से वसई-विरार का सफर आसान व तेज हो जाएगा. लगभग 17,725 करोड़ रुपये की लागत वाली 'मुंबई मेट्रो रूट-13' परियोजना को मंजूरी दी गई है. इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है. मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से लागू की जा रही इस परियोजना के लिए 13,293.74 करोड़ रुपये का अंतरराष्ट्रीय लोन लिया जाएगा, जबकि राज्य सरकार 2,810.36 करोड़ रुपये का बिना ब्याज वाला सेकेंडरी कर्ज देगी. सरकार ने इसे 'महत्वपूर्ण शहरी ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट' घोषित किया है. इससे पश्चिम रेलवे पर भीड़ का दबाव कम होगा. ठाणे-पालघर जिले के लोगों का रोजाना सफर आसान और तेज़ हो जाएगा. इस परियोजना की कुल लंबाई 25.03 किमी होगी. इसमें 21.78 किमी एलीवेटेड और

3.25 किमी अंडरग्राउंड होगा. इस रूट पर कुल 16 स्टेशन होंगे, जिसमें 13 एलिवेटेड और 3 अंडरग्राउंड स्टेशनों का समावेश होगा. सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम (भाईंदर) और नायगांव के बीच 4.92 किमी का सिक्स-लेन रोड और मेट्रो कंबाइंड ब्रिज बनाया जाएगा, जो पंजू आइलैंड को सीधे कनेक्टिविटी देगा. विरार के चिखल डोंगरा में 11.625 हेक्टेयर साइट पर एक मेट्रो डिपो का प्रस्ताव है. इस परियोजना को साल 2031 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

संपादकीय

पनीर का अर्थशास्त्र

एक समय देश में विशिष्ट खाद्य पदार्थ माने जाने वाले पनीर को लेकर आज गहराता अविश्वास चिंता की बात है। मुनाफे के लिये उपभोक्ता के विश्वास से खिलवाड़ का यह धंधा पूरे देश में खूब चल रहा है। दिल्ली में सामने आया नकली पनीर का मामला इसी कड़ी का एक हिस्सा है। निस्संदेह, ये मामले हमारी खाद्य सुरक्षा व्यवस्था की एक बड़ी कमजोरी को ही उजागर करते हैं। ये विडंबना ही है कि किसी उत्पाद की लागत, उसमें प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं और ग्राहक को इस बाबत दी जाने वाली जानकारी में अकसर विरोधाभास पाया जाता है। देश में एनालॉग पनीर की धड़ल्ले से बिक्री के पीछे भी मुनाफे का प्रलोभन ही है। जिसमें वेजिटेबल फैट,स्टार्च, प्लांट प्रोटीन और गैर डेयरी उत्पादों को मिलाया जाता है। दरअसल, यह पनीर, असली दूध वाले पनीर की तुलना में काफी सस्ता होता है और उत्पादकों के मुनाफे को बढ़ाता है। जानकारों का अनुमान है कि कीमतों का यह अंतर चालीस से पचास फीसदी तक हो सकता है। ऐसे में जब रेस्टोरेंट,कैटरर और खाने-पीने के दूसरे कारोबार कम मुनाफे पर करते हैं तो महंगे पनीर के जगह सस्ता पनीर इस्तेमाल करने का लालच होना एक स्वाभाविक बात है। दरअसल, इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हर एनालॉग प्रोडक्ट वास्तव में खाने की दृष्टि से असुरक्षित ही होता है। वास्तव में मुख्य समस्या धोखा देने की है। यदि किसी डेयरी पदार्थों से मुक्त विकल्प की पहचान स्पष्ट तौर पर एनालॉग पनीर के तौर पर की जाती है, तो ग्राहक सोच-समझकर उसको खरीदने के बारे में फैसला स्वतंत्र रूप से ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इसको लेकर ईमानदारी न होना है। जब विक्रेता इसे दूध का पनीर बताकर बेचने लगते हैं तो उपभोक्ता निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे में असली पनीर वाली पौष्टिकता उन्हें नहीं मिल पाती। निर्विवाद रूप से इस मामले में रेस्टोरेंट सबसे कमजोर कड़ी के रूप में सामने आते हैं। जिनका मुख्य मकसद अपने मुनाफे को प्राथमिकता देना ही होता है।

वास्तव में जब भी कोई रेस्टोरेंट अपने किचन में एनालॉग पनीर आदि का इस्तेमाल करना शुरू करता है और उससे कोई व्यंजन बना लेता है तो ग्राहक नहीं समझ पाता है कि असली पनीर है या नकली पनीर है। देश के खाद्य पदार्थों का नियमन करने वाली संस्था एफएसएसएआई ने फूड-सर्विस देने वाले संस्थानों को स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि पनीर वाली डिश में एनालॉग पनीर का इस्तेमाल ग्राहकों को सही जानकारी दिए बिना न किया जाए। इस विवाद के चलते देश के कई राज्यों ने कृत्रिम पनीर के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। पंजाब सरकार ने इसके बनाने, संग्रहण करने, ट्रांसपोर्ट करने, बांटने और पनीर के नाम पर बेचने पर एक साल के लिये रोक लगा दी है। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि एनालॉग पनीर के खिलाफ छापेमारी और उस पर प्रतिबंध लगाने मात्र से यह समस्या हल नहीं होने वाली है। दरअसल, नियामकों को उन आर्थिक कारणों पर भी गंभीरता से ध्यान देना होगा, जिसकी वजह से असली पनीर की जगह नकली पनीर का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है। वास्तव में पनीर की जांच और गुणवत्ता के असली पनीर की उपलब्धता को सुनिश्चित करना जरूरी है। साथ ही तमाम रेस्टोरेंट व होटलों को उन खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के लिये जवाबदेह बनाना होगा, जिन्हें वे खरीदते हैं और ग्राहकों को परोसते हैं। निस्संदेह, हर ग्राहक को इस बात का हक है कि वह जान सके कि वह किस तरह का पनीर खा रहा है। एनालॉग पनीर उत्पादकों को उत्पाद के पैकेट पर स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य होना चाहिए कि यह एनालॉग पनीर है। इसके अलावा सवाल इसके अर्थशास्त्र का भी है कि यदि उत्पादक इसके जरिये मुनाफा कमा रहे हैं तो उपभोक्ता को उस कीमत के अंतर का लाभ मिलना चाहिए। साथ ही उन विक्रेताओं पर नकेल कसनी होगी जो असली पनीर की कीमत पर एनालॉग पनीर धड़ल्ले से बेच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ग्राहकों की सजगता भी इस समस्या के अंतिम समाधान में मददगार हो सकती है।

अपनी सीमा को ताकत बनाना सीखें गणेश जी से

गणेश जी ने सिद्ध किया कि समस्याओं का समाधान चमत्कार से नहीं, बल्कि कर्म और बुद्धि से होता है। उनके व्यक्तित्व से सीख है कि अनुशासन, अनुकूलन और समय प्रबंधन ही सफलता निर्धारित करते हैं।

हमारी भारतीय संस्कृति में हर शुभ कार्य करने से पहले भगवान गणेश का स्मरण किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गणेश जी का सर्वप्रथम स्मरण करने और उन्हें आमंत्रित करने से कार्य में विघ्नहीं आते तथा सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं। गणेश जी आज की युवा पीढ़ी के लिए ऐसे प्रबंधन गुरु हैं, जो अपने व्यक्तित्व और गुणों से यह बताते हैं कि बुद्धि, विवेक और चातुर्य सब पर भारी पड़ता है। बेडौल व्यक्तित्व भी गुणों के आगे मिसाल बन जाता है।

आजकल अधिकतर युवा संसाधनों और व्यक्तित्व की छोटी-बड़ी कमियों के कारण तनावग्रस्त हो रहे हैं और कई बार घातक कदम तक उठा लेते हैं। उनके भीतर निराशा इस कदर छा जाती है कि वे उससे बाहर निकलने का प्रयास ही नहीं करते। यदि वे निराशा के भंवर से बाहर निकलकर देखें, तो समझ पाएंगे कि देवताओं ने भी अनेक बाधाओं को पार किया था। बाधाओं को सफलतापूर्वक पार करने के कारण ही वे देव कहलाए। जीवन में कुछ भी सहजता से नहीं मिलता। जो सरलता से मिल जाता है, उसमें वह आनंद नहीं आता, जो संघर्ष के बाद प्राप्त वस्तु में मिलता है। संघर्ष के साथ-साथ व्यक्ति के भीतर विवेक और बुद्धि का होना भी अनिवार्य है। कई बार जो कार्य बल से नहीं होते, वे बुद्धि से संपन्न हो जाते हैं।

गणेश जी ने अनेक अवसरों पर अपने कार्यों से सिद्ध किया कि समस्याओं का समाधान चमत्कार से नहीं, बल्कि कर्म और बुद्धि से होता है। उनके जीवन से यह सीख मिलती है कि अनुशासन, अनुकूलन और समय प्रबंधन ही सफलता की नींव तैयार करते हैं।

अक्सर युवा शिकायत करते हैं कि उनके पास सीमित संसाधन थे, इसलिए वे परीक्षा अथवा नौकरी में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। गणेश जी को जब प्रथम पूज्य बनने की चुनौती दी गई और कहा गया कि उन्हें पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करनी होगी, तब उन्होंने अपने धीमे वाहन मूषक को लेकर कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने तुरंत बुद्धि का प्रयोग किया और अपनी सीमा को ही ताकत बना लिया। गणेश जी ने मूषक के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की तीन बार परिक्रमा की और कहा कि उनके लिए माता-पिता ही पूरे ब्रह्मांड से बढ़कर हैं। उनकी बुद्धिमत्ता देखकर सभी ने उन्हें प्रथम पूज्य स्वीकार कर लिया।

जब गणेश जी महाकाव्य लिख रहे थे, तब अचानक उनकी कलम टूट गई। उन्होंने न तो कलम टूटने का बहाना बनाया और न ही लेखन कार्य रोका। उन्होंने तत्काल निर्णय लेते हुए अपना एक दांत तोड़ लिया और उसे कलम की तरह प्रयोग करके महाकाव्य लिखना जारी रखा। इसी त्याग के कारण उनका नाम 'एकदंत' पड़ा। यदि ऐसी स्थिति हमारे सामने आ जाए, तो हममें से अनेक लोग समस्या का समाधान खोजने के बजाय समय बर्बाद करने लगेंगे।

आजकल कई युवा जीतने के लिए हर प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं और कभी-कभी षड्यंत्र करने से भी नहीं चूकते। इसके विपरीत, गणेश जी ने एक बार अपने बड़े भाई कार्तिकेय के सम्मान और भाईचारे के लिए जान-बूझकर हार स्वीकार की। माता पार्वती ने जब इसका कारण पूछा, तो उन्होंने सहज भाव से कहा, 'जहां अपनों का सम्मान और भाईचारा दांव पर लगा हो, वहां जीतकर भी हार हो जाती है। संबंधों की मिठास हर जीत से बड़ी होती है।' यह विचार आज के युवाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सीख है।

गणेश जी के आंतरिक गुणों के अतिरिक्त उनका बाहरी व्यक्तित्व भी प्रबंधन का अद्भुत पाठ पढ़ाता है। उनका मस्तक अत्यंत विशाल है, जो प्रत्येक विद्यार्थी और व्यक्ति को बड़ी सोच रखने की प्रेरणा देता है। बड़ी सोच दूरदर्शिता का परिचायक होती है और व्यक्ति को अनेक संकटों से बचाती है। उनके छोटे नेत्र जीवन में लक्ष्य के प्रति सूक्ष्म दृष्टि रखने की सीख देते हैं। सूक्ष्म दृष्टि से व्यक्ति अपने निर्णयों को अधिक सकारात्मक और प्रभावी बना सकता है। गणेश जी के कान बहुत बड़े और मुख छोटा है। उनके ये दोनों अंग प्रत्येक व्यक्ति को कम बोलने और अधिक सुनने की प्रेरणा देते हैं। आज अधिकतर लोग दूसरों को सुनाने के लिए तो तैयार रहते हैं, लेकिन जब दूसरों की सुनने की बात आती है, तो पीछे हट जाते हैं। दूसरों की बातें सुनने से व्यक्ति का ज्ञान बढ़ता है, जबकि अपनी ही धुन में बोलते रहने से ज्ञान सीमित रह जाता है। सुनना किसी जादू से कम नहीं है। जस्टिस ओलिवर वेंडेल होम्स के अनुसार, 'दूसरों की बातें सुनना ही वह सबसे असरदार तरीका है, जिससे कोई व्यक्ति संसार में लोगों को साथ लेकर चल सकता है और उन्हें अपना मित्र बना सकता है।'

गणेश जी का संपूर्ण व्यक्तित्व जीवन प्रबंधन का ऐसा सूत्र है, जिसके माध्यम से हर व्यक्ति सुख, स्वास्थ्य, प्रसन्नता, समृद्धि और प्रेम को अपने जीवन का हिस्सा बना सकता है।

जलभराव का हो सकता है स्थाई समाधान

अंधाधुंध विकास के चलते शहरों में जलभराव की समस्या बढ़ गयी है। खासकर पुराने शहरों में ड्रेनेज सिस्टम अपर्याप्त होने से निकासी नहीं होती। इसके समाधान के लिए दुनियाभर में स्पॉन्ज सिटी मॉडल अपनाया जा रहा है। भारत में भी इसकी जरूरत है। बरसात के दौरान रुक-रुक कर बस्तियों में जलभराव का संकट देखने को मिल रहा है। जिन राज्यों में चुनाव नजदीक हैं, वहां यह राजनीतिक मुद्दा बन रहा है। क्योंकि व्यापारी, विद्यार्थी, कर्मचारी व आम परिवार, सब जलभराव से परेशान हैं। कोई भ्रष्टाचारियों को कोसता है तो कोई अपने ही शहरियों को। आजकल गुरुग्राम, दिल्ली या पूरे एनसीआर का जलभराव सुर्खियों में है। दक्षिण भारत के महानगरों व मुंबई में भी यदा-कदा ऐसे 'जलप्लावन' के दृश्य दिख जाते हैं। बरसातें कम हों या ज्यादा, मानसूनी हों या न हों, हमारे नगर-महानगर, यहां तक कि गांव भी बरसाती पानी से लबालब हो जाते हैं। कई-कई दिनों तक जलजमाव हो जाता है। नगर निकाय न तो बरसाती पानी सोख पा रहे और न ही उसकी निकासी कर पा रहे हैं। अपर्याप्त और अधिकतर पुरानी, जर्जर, कचरे से अटी-पटी नाले-नालियों की ड्रेनेज प्रणाली भी इसका कारण है। आवासीय परिसरों से पंपों से पानी निकालना पड़ता है। नावें चलने लगती हैं। शौचालय और सीवरेज लाइनें भी ओवरफ्लो हो जाती हैं। कई बस्तियां ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ी नहीं होती । इससे भी जलजमाव के नए क्षेत्र बन जाते हैं। जलजमाव हो जाए तो पानी का जमीन के भीतर जाना बंद या मंद हो जाता है। भूमिगत जल स्तर ऊंचा रहता है। ठोस कंक्रीट निर्माण के कारण पानी कम नीचे जाता है। जलवायु बदलाव के दौर में विश्व के कई महानगर 'जलप्लावन' की स्थितियां झेलते हैं। इंजीनियरिंग व्यवस्थाएं इस समस्या का निदान नहीं कर पा रहीं। इसी वजह से कई देश अपने शहरों को स्पॉन्ज सिटी बनाने में लग गए हैं। स्पॉन्ज सिटी यानी ऐसा नगर जो अतिरेकी बरसातों को स्पॉन्ज की तरह सोख ले, उसे भंडारित रखे और जरूरत पड़ने पर उपलब्ध भी करा दे। स्पॉन्ज सिटी अपने पानी को बाहर छोड़ने के बजाय अपनी सीमा के भीतर ही संभाल कर रखती है, अपने उपयोग के लिए। इसे पार्कों, उद्यानों में सिंचाई में लगा सकते हैं। लंबे समय में स्पॉन्ज सिटीज का लाभ यह हो सकता है कि इससे उत्सर्जित कार्बन और जलवायु बदलाव के दंश कम करने में भी मदद मिले।

इनमें प्राकृतिक प्रणालियां-फ्लड प्लेन, वेटलैंड, हरित क्षेत्र-पानी को सहेजती हैं। इसके विपरीत शहरी स्टॉर्म ड्रेन या छोटी-बड़ी जल निकासी नालियों जैसे कंक्रीट ढांचों वाली शहरी ड्रेनेज व्यवस्थाएं मुख्यतया बरसाती पानी को शहर से बाहर निकालने के लिए होती हैं। कंक्रीट निर्माण जैसे-जैसे पुराने पड़ते हैं और जनसंख्या बढ़ती है, तो इनकी क्षमता बढ़ानी पड़ती है, अन्यथा शहर डूबने लगते हैं। स्पॉन्ज सिटीज़ में पेड़, पार्क, झील, तालाब, वेटलैंड्स, रेन गार्डेन्स, ग्रीन रूफ व पार्क-आधारित अतिवृष्टि प्रबंधन होता है। ये भारी बरसातों में कम ही समस्याग्रस्त होंगी। यह जल्दी से जल्दी नाले-नालियों की सीमेंटेड प्रणालियों से पानी बाहर करने की कामचलाऊ सोच से भिन्न, पानी को धीमे-धीमे रिसाव के माध्यम देने की सोच है। इसके मूल में बरसाती जल को रोकना और सोखना है। इससे बाढ़ विभीषिकाएं भी कम होने लगती हैं। संगृहीत जल का पुनः उपयोग होता है। स्पॉन्ज सिटीज़ के कार्यान्वयन को शहरों में जल-अकाल, बाढ़, जलप्लावन, हीट आइलैंड निर्माण व जैव विविधता हानियों को कम करने का जरिया माना जा रहा है। इसे क्लाइमेट चेंज अडैप्टेशन टूल माना जा सकता है। पेरू, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन जैसे देश भी इसे अपनाए हुए हैं। भारत में भी चेन्नई, मुंबई, कोच्चि में महानगरीय बाढ़ों को रोकने के लिए स्पॉन्ज सिटी नियोजन, अध्ययन आदि पर काम हो रहा है। हाल ही में दिल्ली के लिए मास्टर प्लान 2047 घोषित किया है जिसमें दिल्ली का स्पॉन्ज सिटी की ओर बढ़ना नजर आ रहा है। फरवरी 2021 में बृहन्मुंबई कार्पोरेशन (बीएमसी) ने भी स्पॉन्ज सिटी लागू करना चाहा था। साल 2021 से चेन्नई ने भी खुद को स्पॉन्ज सिटी के रूप में ढालना शुरू कर दिया था। ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने बाढ़ रोकने के लिए 57 स्पॉन्ज पार्क स्थापित करना तय किया था। चीन ने 2014 से स्पॉन्ज सिटीज़ निर्माण को शहरी नियोजन का हिस्सा बना दिया था। चीन के पेकिंग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कोंगजियान यू ने ही स्पॉन्ज सिटीज के विचार को प्रतिपादित किया था। जलजमाव रोकने के लिए चीन ऐसे शहर बनाना चाहता था, वहीं इसका कारण यह भी था कि उसके नए बसे आधे से ज्यादा शहर पानी की कमी से जूझ रहे थे। स्पॉन्ज शहरों को लेकर चीन का लक्ष्य है कि उसके 80 प्रतिशत शहर कम से कम 70 प्रतिशत बरसाती जल का संग्रहण और उपयोग करें। भारत के लक्ष्य भी ऐसे ही होने चाहिए। जलवायु बदलाव के दौर में शहरों को विशाल स्पॉन्ज की तरह बनना होगा। प्रकृति ने तो पहले ही हमें जंगलों, घास के मैदानों, वेटलैंड्स, प्राकृतिक झीलों के रूप में प्राकृतिक स्पॉन्ज प्रदान किए हुए थे। हमने ही त्रुटिपूर्ण विकास की राह अपनाकर उन्हें छिन्न-भिन्न व नष्ट कर दिया। वेटलैंड्स यानी नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र तो पहले से ही प्राकृतिक स्पॉन्ज की तरह काम करते थे, जिन्हें हमने नष्ट कर दिया। वहां बस्तियां बसा दीं। फ्लड प्लेन पर भी अवैध कब्जे हैं। जिसके चलते बरसाती जल सोखना कम हो गया। वेटलैंड व बाढ़ क्षेत्र पानी को रोकते, छानते व सोखते थे। वहीं जैव विविधता को भी पनपाते थे। दरअसल, हम स्पॉन्ज सिटी की परिकल्पना के विपरीत दिशा में जाकर विकास कर रहे हैं। बरसाती जल स्वतः जिन राहों से, जिन बेसिनों में गहराई में जा रहा था, उन राहों व बेसिनों को भी काट दिया या पाट दिया। बेंगलूरु में 80 प्रतिशत से ज्यादा वॉटर बॉडीज खत्म कर दीं। अब नगरों, महानगरों में तुलनात्मक आधार पर आकलन किया जा रहा है कि उस महानगर में कितने पेड़, झीलें हैं और कितना कंक्रीटी प्रसार है। वहीं स्पॉन्ज इंडेक्स की रेटिंग भी हो रही है।

जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार आरोपियों को ७ दिन की पुलिस रिमांड !

मीरा रोड : मीरा रोड के एक कथित करोड़ों रुपए के जमीन घोटाले और फर्जीवाड़े के मामले में दो मुख्य आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत रद्द करने के बाद दोनों मुख्य आरोपी खेतसिंह तख्तसिंह मेडतिया और सुरेश कुमार सिद्धार्थ ने मीरा-भायंदर कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद काशीमीरा पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है।

मामला मीरा रोड स्थित १,८१३.६२ वर्ग मीटर भूमि से जुड़ा है। आरोप है कि दोनों ने साजिश के तहत मूल मालिकों की जाली पावर ऑ फ अटॉर्नी बनाकर जमीन पर दावा किया और सेल-कम-डेवलपमेंट एग्रीमेंट रजिस्टर करा दिया। इस पर काशीमीरा पुलिस ने धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश की धाराओं में केस दर्ज किया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, जिस पर दिसंबर २०२५ में कोर्ट ने ५०-५० हजार के मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह जमानत खारिज करते हुए कहा कि गहराई से जांच और मूल दस्तावेजों की बरामदगी के लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी है। आदेश के बाद दोनों ने मीरा-भायंदर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजेंद्र कांबले ने बताया कि गुरुवार को दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से ७ दिन की पुलिस कस्टडी मिली है। पुलिस का कहना है कि इस दौरान सभी सबूतों की गहराई से जांच कर मामले की पूरी सच्चाई सामने लाई जाएगी।

कबूतरों को दाना डालने पर नोटिस जारी नोटिस शुरुआत, कार्रवाई भी जरूरी : ढगे

भाईंदर : सार्वजनिक स्थानों पर कबूतरों को दाना डालने से बढ़ रही गंदगी, स्वास्थ्य जोखिम और पर्यावरणीय असंतुलन को देखते हुए मीरा-भाईंदर महानगरपालिका (एमबीएमसी) ने शहर के कुछ स्थानों पर 'कबूतरों को दाना न डालें' के नोटिस बोर्ड लगाने शुरू कर दिए हैं. नोटिस में नियमों का उल्लंघन करने पर 500 से 5,000 रुपये तक जुर्माने की चेतावनी दी गई है. पर्यावरण प्रेमी हर्षद ढगे ने मनपा के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि यह जीत नहीं, बल्कि सही दिशा में उठाया गया जरूरी कदम है. उन्होंने कहा, साइन बोर्ड लगाना शुरुआत है, अब सार्वजनिक स्थानों पर दाना डालने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए. ढगे के अनुसार, मनपा की लोकल बायोडायवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान में रॉक पिजन की बढ़ती संख्या और कबूतरखानों से होने वाली समस्याओं का उल्लेख है.

इसमें कबूतरखानों को बंद करना भी सुधारात्मक कदम के रूप में शामिल किया गया है. उन्होंने 24 जुलाई 2025 के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि कबूतरों की बीट और पंखों से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों को गंभीरता से लेने की जरूरत है. पर्यावरण प्रेमियों ने शहर के सभी कबूतरखानों और फीडिंग हॉटस्पॉट का सर्वे व मैपिंग करने, अस्पताल, हेल्थ सेंटर और पार्कों के आसपास दाना खिलाने पर रोक लगाने तथा उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने की मांग की है.

बिना EC कचरा प्रबंधन को माना नियमों का उल्लंघन, जल्द पर्यावरण मंजूरी लेने का निर्देश

उत्तन पाली गांव डंपिंग ग्राउंड पर NGT की सख्ती पुराने कचरे के निपटारे के लिए 3 महीने की मोहलत

मीरा भाईंदर, (सं.) भाईंदर पश्चिम उत्तन-पाली गांव स्थित डंपिंग ग्राउंड को लेकर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने मीरा-भाईंदर महानगरपालिका को बड़ा झटका देते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. एनजीटी ने माना कि इस स्थल पर संचालित कचरा प्रबंधन गतिविधि के लिए पूर्व पर्यावरण मंजूरी (ईसी) आवश्यक थी और बिना मंजूरी के गतिविधि संचालित करना पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन है. हालांकि, पर्यावरण हित को ध्यान में रखते हुए तत्काल डंपिंग बंद करने के बजाय एनजीटी ने मनपा को सक्षम प्राधिकारी से जल्द पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने और उसके अंतिम निर्णय का पालन करने का निर्देश दिया है.

रोजाना 500 से 600 मीट्रिक टन कचरा उत्तन-पाली के सर्वे नंबर 25 और 65 पर स्थित इस स्थल पर शहर से प्रतिदिन करीब500 से 600 मीट्रिक टन कचरा पहुंचाया जाता है. इसमें होटल, अस्पताल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाला कचरा भी शामिल है. स्थानीय नागरिक लंबे समय से इस स्थल का विरोध करते रहे हैं. उनका कहना है कि डंपिंग ग्राउंड बस्तियों, खेती की जमीन, जलस्त्रोतों और अरब सागर के बेहद करीब स्थित है.

लीचेट से खेत और जलस्त्रोत प्रभावित होने का आरोप

एनजीटी में दायर आवेदन में आरोप लगाया गया कि वर्ष 2009 में शुरू किया गया कथित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रकल्प बाद में बिना उचित प्रक्रिया के कचरा डालने वाले डंपिंग ग्राउंड में तब्दील हो गया. गीले कचरे से निकलने वाला लीचेट खेतों और जलस्त्रोतों में पहुंचकर समुद्र तक जाने का आरोप लगाया गया. इससे कृषि भूमि और पर्यावरण को नुकसान पहुंचने के साथ ही स्थानीय लोगों को दुर्गंध की समस्या का सामना करना पड़ रहा है.

जमीन का आरक्षण बदलने पर भी उठे सवाल

मामले में जमीन के आरक्षण को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए. आरोप के अनुसार, दिसंबर 2002 में जिलाधिकारी ने जमीन मनपा को अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के लिए दी थी. विकास योजना में जमीन का कुछ हिस्सा पहाड़ी और कुछ हिस्सा नो-डेवलपमेंट जोन में था. आरोप है कि महाराष्ट्र क्षेत्रीय एवं नगर नियोजन अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया तथा जनता से आपत्ति-सुझाव लेने की प्रक्रिया का पालन किए बिना जमीन का आरक्षण बदला गया.

पुराना कचरा हटाने के लिए 3 महीने

एनजीटी ने मनपा को संबंधित स्थल से पुराना कचरा हटाने के लिए 3 महीने की समयसीमा दी है. साथ ही महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) को निर्देश दिया गया है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत निर्धारित अवधि में पुराने कचरे का निपटारा नहीं होने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना कर मनपा से वसूली जाए.

सैनिटरी लैंडफिल का 80% काम पूरा

आदेश में यह भी दर्ज है कि मनपा और शहरी विकास विभाग के अनुसार प्रस्तावित सैनिटरी लैंडफिल का करीब 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका था और जून 2025 में इसके संचालन की संभावना जताई गई थी. ऐसे में केवल पुराने कचरे की डंपिंग के लिए पर्यावरणीय मंजूरी से छूट का प्रावधान लागू नहीं माना जा सकता. एनजीटी ने यह भी उल्लेख किया कि मनपा ने बाद में स्वयं पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन किया था. इससे यह संकेत मिलता है कि मनपा को भी अपनी गतिविधि के लिए पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता होने का विश्वास था. एनजीटी ने मनपा जल्द से जल्द सक्षम प्राधिकारी से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करे और उस पर आने वाले अंतिम निर्णय का पूरी तरह पालन करे.

प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम

भाईंदर : गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव और सभी धार्मिक-सामाजिक जुलूसों में निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक डीजे, साउंड सिस्टम, ढोल-ताशा और लेजर लाइट के इस्तेमाल पर तत्काल नियंत्रण की मांग की गई है. जिद्दी मराठा प्रतिष्ठान के प्रदीप दिलीप जंगम ने पुलिस आयुक्त, मनपा आयुक्त और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल को निवेदन सौंपकर स्वतंत्र परिपत्र जारी करने की मांग की है. निवेदन में सुप्रीम कोर्ट के ध्वनि प्रदूषण मामले (2005) और बॉम्बे हाई कोर्ट के 16 अगस्त 2016 के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि उत्सव मंडलों को अनुमति देने से पहले ध्वनि नियंत्रण संबंधी नियमों की लिखित जानकारी दी जाए और पूर्व में नियम तोड़ने वाले मंडलों के रिकॉर्ड की जांच की जाए. जंगम ने मांग की है कि बड़े मंडलों और जुलूसों में साउंड लेवल मीटर से डेसिबल मॉनिटरिंग अचानक जांच और उल्लंघन की डिजिटल रिकॉर्डिंग की जाए. ढोल-ताशा पथकों की संख्या, जुलूस का समय और मार्ग भी अनुमति में स्पष्ट किया जाए. सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील या आपत्तिजनक गाने, तेज लेजर लाइट से नागरिकों व वाहन चालकों की आंखों को होने वाले खतरे तथा अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष ध्वनि नियंत्रण की मांग की गई है. उत्सव अवधि में 24 घंटे ध्वनि प्रदूषण हेल्पलाइन, प्रत्येक शिकायत को नंबर देने और कार्रवाई का रिकॉर्ड रखने की भी मांग की गई है. सभी धर्मों के सामाजिक आयोजनों पर नियम समान रूप से लागू करने पर जोर दिया गया है.

विघ्नहर्ता के स्वागत में सड़कों पर गड्ढों का 'महा-विघ्न'!

मीरा-भायंदर मनपा की लापरवाही के कारण शहर में खराब सड़कें और सीमेंट कंक्रीट का अधूरा काम बना आफत

मुंबई : विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश के आगमन में अब महज ४८ घंटे शेष हैं। जहां पूरा शहर बप्पा के स्वागत की तैयारियों में डूबा है, वहीं मीरा-भायंदर मनपा के तमाम दावों के बावजूद शहर की कई सड़कें अब भी गड्ढों से पटी पड़ी हैं। मुख्य मार्गों से लेकर अंदरूनी सड़कों तक टूटी सड़कें और सीमेंट कंक्रीटीकरण के अधूरे कामों ने त्योहार के उत्साह पर पानी फेर दिया है। १४ से २५ सितंबर तक चलने वाले दस दिवसीय महापर्व के ठीक पहले आगमन और विसर्जन मार्गों की बदहाली ने गणेश मंडलों, नागरिकों और पुलिस प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है।

मनपा हर साल मानसून और त्योहारों से पहले सड़कों को गड्ढा-मुक्त करने का दावा करती है, लेकिन हकीकत बदतर है। कई जगह सड़कों को बीच में खोदकर छोड़ दिया गया है। बारिश का पानी भरने से ये हिस्से जानलेवा दलदल बन गए हैं। अधूरे काम वाली जगहों पर नुकीले सरिये और सीमेंट के टुकड़े बिखरे हैं, जो हादसों को न्योता दे रहे हैं। गणेश मंडलों ने मनपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रशासन हर साल खोखले वादे करता है। आगमन और विसर्जन के मुख्य मार्गों पर गहरे गड्ढे जस के तस हैं, जिससे बप्पा की विशाल मूर्तियों को पंडालों तक सुरक्षित लाना चुनौती बन गया है।

पुलिस की सख्ती

खराब सड़कों को सुरक्षा के लिए बड़ी बाधा बताते हुए मीरा-भायंदर, वसई-विरार आयुक्तालय के पुलिस थानों ने मनपा आयुक्त को पत्र लिखकर नाराजगी जताई है। पत्र में कहा गया है कि खराब सड़कों से ट्रैफिक जाम होगा और सुरक्षा व भीड़ प्रबंधन में भारी दिक्कत आएगी। त्योहार के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी, ऐसे में सड़कों की खराब हालत गंभीर समस्या बन सकती है।

ठाणे में राष्ट्रीय लोक अदालत से बड़ी राहत, लंबित ई-चालान के 7,001 मामले निपटे, जमा हुए ₹1.57 करोड़

ठाणे में यातायात नियमों का उल्लंघन कर ई-चालान का जुर्माना बकाया रखने वाले वाहन चालकों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से बड़ी राहत मिली है। गत दिवस आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में वाहन मालिकों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ठाणे शहर ट्रैफिक पुलिस की 18 इकाइयों के तहत लंबित 7 हजार 1 मामले समझौते के बाद निपटाए गए, जबकि 1 करोड़ 57 लाख 33 हजार 75 रुपये का बकाया ई-चालान जुर्माना अदालत में जमा कराया गया।

ठाणे शहर पुलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे ने वाहन मालिकों से अपील करते हुए कहा है कि ई-चालान बकाया न रखें, नियमों का पालन करें एवं जुर्माना बचाएं। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर लगाया गया जुर्माना समय पर न भरने पर संबंधित वाहन चालक के खिलाफ अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। ऐसे लंबित मामलों का समझौते के जरिए निपटारा करने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था। प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर.डी. सावंत के मार्गदर्शन में ठाणे जिला विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव रवींद्र पाजणकर की पहल पर यह लोक अदालत आयोजित की गई। इस अवसर पर ठाणे शहर यातायात शाखा की 18 इकाइयों के लंबित मामलों पर सुनवाई की गई।

वाहन मालिकों द्वारा समझौते के बाद बकाया जुर्माना भरने से हजारों मामलों का निपटारा हुआ और शासन के राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई।

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। इसके अनुसार संबंधित वाहन मालिक के मोबाइल पर ई-चालान भेजा जाता है।

लेकिन जुर्माना भरने में लापरवाही बरतने पर आगे अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे लंबित मामलों को समझौते के माध्यम से निपटाने का अवसर हर तीन महीने में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रदान किया जाता है।

राई, मोरवा, मुर्धा में उत्सव का माहौल !

'कृत्रिम तालाब' को मंजूरी मिलने पर सौ. वैशाली म्हात्रे और मनपा प्रशासन का चारों ओर से अभिनंदन व स्वागत

मीरा-भायंदर:वार्ड क्रमांक २३ के अंतर्गत आने वाले राई, मोरवा और मुर्धा गांवों में पारंपरिक गौरी-गणपति विसर्जन तालाब के मुद्दे पर मनपा प्रशासन द्वारा सकारात्मक निर्णय लेने के बाद क्षेत्र में भारी हर्षोल्लास देखा जा रहा है। गांवों की सदियों पुरानी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा को अक्षुण्ण रखने के लिए लगातार संघर्ष करने वाली शिवसेना उपशहर संगठक सौ. वैशाली भरत म्हात्रे के प्रयासों को बड़ी सफलता मिली है। इस निर्णय से गदगद स्थानीय ग्रामीणों ने सौ. वैशाली म्हात्रे और मीरा भायंदर महानगरपालिका प्रशासन का दिल से आभार व्यक्त किया है।गौरतलब है कि उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए मनपा ने पहले ही इस तालाब के बीच में एक मजबूत विभाजन दीवार (पार्टिशन वॉल) का निर्माण किया था। सौ. वैशाली म्हात्रे ने इसी तकनीकी पहलू को सामने रखकर विसर्जन वाले हिस्से को 'कृत्रिम तालाब' (आर्टिफिशियल लेक) घोषित करने की मांग की थी। उन्होंने महापौर, मनपा आयुक्त, स्थानीय विधायक और सभी दल के नेताओं से व्यक्तिगत रूप से मिलकर लिखित आवेदन सौंपे थे।गणेशोत्सव के ठीक पहले प्रशासन द्वारा इस जनभावना का सम्मान किए जाने से श्रद्धालुओं की बड़ी चिंता दूर हो गई है। पर्यावरण की रक्षा और लोकपरंपरा दोनों

को एक साथ साधने वाले इस ऐतिहासिक कदम के लिए पूरे प्रभाग क्रमांक २३ और तीनों गांवों की जनता द्वारा सौ. वैशाली भरत म्हात्रे और मनपा प्रशासन की चौतरफा सराहना की जा रही है और जगह-जगह उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है।

मराठी माध्यम से पढ़ रहे 60% हिन्दीभाषी बच्चे, शिक्षण सभापति ने बताया माध्यम बदलने की वजह

MBMC स्कूलों में माध्यम का सियासी गणित !

5. गुजराती स्कूल बद, हिंदी माध्यम से पढ़ रहे गुजराती भाषी बच्चे

मीरा-भायंदर : महानगरपालिका के स्कूलों में शिक्षा के माध्यम को लेकर सियासी और सामाजिक बहस छिड़ने की संभावना है. मनपा के मराठी माध्यम के स्कूलों में करीब 60 प्रतिशत विद्यार्थी हिंदीभाषी परिवारों से होने की जानकारी सामने आई है. वहीं, गुजराती माध्यम के 5 मनपा स्कूल बंद किए जाने के बाद वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों को हिंदी माध्यम में शिक्षा दी जा रही है. ऐसे में मनपा की भाषा आधारित शिक्षा नीति पर सवाल उठने लगे हैं.

36 स्कूलों से शुरू हुआ था 4 भाषाओं का सफर : मनपा क्षेत्र में कुल 36 स्कूल संचालित होते थे. इनमें मराठी, हिंदी, गुजराती और उर्दू माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी, लेकिन गुजराती माध्यम के 5 स्कूल बंद होने के बाद वहां के विद्यार्थियों को हिंदी माध्यम में स्थानांतरित किया गया है, और मनपा स्कूल की संख्या 36 से घट कर 31 पर सिमट गई है. साथ ही गुजराती माध्यम में शिक्षा हासिल करने वाले विद्यार्थियों के सामने अपनी मातृभाषा में आगे की पढ़ाई का विकल्प सीमित हो गया है.

हिंदीभाषी बच्चों का
मराठी की ओर रुझान
मनपा की शिक्षण सभापति स्नेहा

शैलेश पांडे ने इस पूरे मामले पर अलग तस्वीर पेश की है. उनका कहना है कि घोड़बंदर, माशा चा पाड़ा, काशी गांव और मीरा गांव जैसे क्षेत्रों में पहले आदिवासी समाज की आबादी अधिक थी. इसी को ध्यान में रखते हुए वहां मराठी माध्यम के मनपा स्कूल शुरू किए गए थे. बाद में इन इलाकों में उत्तर भारतीय और बिहार सहित हिंदीभाषी नागरिकों की आबादी बढ़ी. हिंदी माध्यम के स्कूल उपलब्ध नहीं होने के कारण इन परिवारों ने अपने बच्चों को मराठी माध्यम में पढ़ाना शुरू किया. सभापति के अनुसार, कई अभिभावक इससे संतुष्ट हैं. उनका तर्क है कि हिंदी बच्चे घर पर सीख लेते हैं, जबकि मराठी भाषा बचपन से सीखने का अवसर स्कूल में मिल रहा है.

गुजराती स्कूल बंद करने के
पीछे मनपा का तर्क

गुजराती माध्यम के 5 स्कूल बंद करने के फैसले पर स्नेहा पांडे का कहना है कि मनपा के गुजराती माध्यम के स्कूलों में 7 वीं कक्षा तक ही शिक्षा उपलब्ध थी. 8 वीं कक्षा और आगे की पढ़ाई के लिए पर्याप्त गुजराती माध्यम के स्कूल उपलब्ध नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को बाद में माध्यम बदलना ही पड़ता था. इसी वजह से बच्चों को शुरू से ही हिंदी माध्यम में शिक्षा देने का निर्णय लिया गया.

भाषा, शिक्षा और राजनीति,
तीनों आमने-सामने

मनपा के इस फैसले ने एक अहम सवाल खड़ा कर दिया है, क्या विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा का विकल्प मिलना चाहिए या उपलब्ध संसाधनों के आधार पर माध्यम तय किया जाना चाहिए? एक तरफ हिंदीभाषी परिवार मराठी माध्यम को स्वीकार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर गुजराती माध्यम के स्कूल बंद होने से गुजराती विद्यार्थियों का हिंदी माध्यम में जाना मनपा की शिक्षा नीति और भविष्य की भाषाई दिशा पर राजनीतिक बहस को हवा दे सकता है.

पूर्व नगर सेवक रोहित सुवर्णा का कहना है कि अब सवाल सिर्फ स्कूलों की संख्या का नहीं, बल्कि मनपा की शिक्षा नीति में मराठी, हिंदी, गुजराती और उर्दू माध्यम के बीच संतुलन का भी है.

मनपा स्कूलों से बच्चों का हो रहा है मोहभंग!

छात्र संख्या आधी होने से मचा हड़कंप...
9,613 से घटकर 5,042 हुआ ऑनलाइन पंजीकरण

मुंबई : मीरा-भायंदर महानगरपालिका प्रशासन भले ही हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर अपने स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम, मुफ्त स्टेशनरी और शिक्षण का स्तर बढ़ाने के अपने प्रयासों का ढोल पीट रहा हो, लेकिन इस साल छात्रों के पंजीकरण में आई भारी गिरावट ने इन दावों की पोल खोल दी है। मनपा के शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, वर्तमान में केवल ५,०४२ छात्रों का ऑनलाइन पंजीकरण दर्ज किया गया है, जबकि पिछले साल जुलाई में यह संख्या ९,६१३ थी। इससे साफ हो गया है कि छात्रों के पंजीकरण की संख्या घटकर लगभग आधी रह गई है। हालांकि, शिक्षण विभाग ने स्कूलों में छात्रों की संख्या आधी होने पर उठ रहे सवालों को लेकर यह स्पष्टीकरण दिया है कि वर्तमान में जो संख्या दिख रही है, वह केवल उन छात्रों की है जिनका आधार कार्ड यू-डायस पोर्टल पर सफलतापूर्वक अपलोड और लिंक किया जा चुका है। इसके अलावा कई छात्र अपने परिवारों के साथ खेती के काम या अन्य कारणों से फिलहाल अपने गांव गए हुए हैं, जिनकी ऑफलाइन और ऑनलाइन कागजी प्रक्रिया अभी पूरी होना बाकी है। प्रशासन का कहना है कि छात्रों की अंतिम संख्या हर साल सितंबर के अंत में तय होती है। उम्मीद की जा रही है कि ३० सितंबर, २०२६ तक सभी छात्रों के दस्तावेज अपलोड होने के बाद यह संख्या पिछले साल के मुकाबले घटने के बजाय बढ़ती हुई नजर आएगी। नगरपालिका से महानगरपालिका बनने के सफर में स्कूलों की संख्या बढ़ाकर ३६ हो गई है, जिनमें २१ मराठी माध्यम के अलावा हिंदी, उर्दू, गुजराती और सेमी-इंग्लिश माध्यम से मुफ्त में शिक्षा प्रदान की जाती है। मनपा के ये स्कूल प्रमुख रूप से समाज के सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का काम करते हैं। मनपा प्रशासन के अनुसार ५,०४२ छात्रों का आंकड़ा अंतिम नहीं है। कई विद्यार्थियों के आधार कार्ड यू-डायस से लिंक नहीं हुए हैं, जबकि कुछ परिवारों के साथ गांव गए हैं। ३० सितंबर तक दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद वास्तविक छात्र संख्या सामने आने की उम्मीद है।

सैकड़ों कार्यकर्ता भाजपा में शामिल

मीरा भाईंदर : बीजेपी ने मीरा- भाईंदर में अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाते हुए आरटीआई प्रशिक्षक किरण मांजरेकर, शिवसेना के वरिष्ठ पदाधिकारी एड. श्याम शहारे और युवा सेना के जिला उपाध्यक्ष आर्यन पंडित समेत 100 से अधिक कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल किया. विधायक नरेंद्र मेहता के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम में मांजरेकर को बीजेपी का जिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया. जिला अध्यक्ष दिलीप जैन ने उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा. मांजरेकर ने मेहता के विकास कार्यों से प्रभावित होकर भाजपा में आने और पार्टी की मजबूती के लिए ईमानदारी से काम करने की बात कही.

श्याम शहारे ने भी मेहता के नेतृत्व में शहर के विकास और कार्यकर्ताओं को मिले समर्थन को बीजेपी में शामिल होने की वजह बताया. वहीं, आर्यन पंडित के साथ कमल यादव, सुदेश कुमार, आशीष चौरसिया, नितिन राजभर समेत 100 से अधिक युवा सेना कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा. मेहता ने सभी नए सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण के नेतृत्व में बीजेपी लगातार मजबूत हो रही है और विभिन्न दलों के कार्यकर्ता पार्टी से जुड़ रहे हैं.

यह हिंदी पाक्षिक मालक, मुद्रक, प्रकाशक संजय डी. राय द्वारा ओम साई प्रिंटर्स, न्यू जय अम्बे एस्टेट, यूनिट नं. 7, ओल्ड सिंडिकेट बैंक के सामने, एचपी गैस गोडाऊन के पीछे, गोडदेव फाटक रोड, भाईदर (पूर्व) - 401 105 से मुद्रित कर 116 डी विंग, तुलसी छाया बिल्डिंग, नवघर क्रॉस तलाव रोड, भाईदर (पूर्व), जिला ठाणे 401 105 (महाराष्ट्र) यहां से प्रकाशित किया। इस समाचार पत्र में प्रकाशित सभी समाचारों से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। किसी भी विवाद का निपटारा मा. ठाणे न्यायालय के अधिन होगा। संपादक : संजय डी. राय, मोबाइल- 9967935711 / email: bhayandersun@gmail.com